

प्रेषक,

अरुण प्रकाश,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, कासगंज, महाराजगंज, मऊ, सतकबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, बदायूं, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, कानपुर देहात, कानपुर नगर, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, उन्नाव, वाराणसी, अलौगढ़, बांदा, बरेली, चंदौली, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, कन्नौज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखनऊ, मेरठ, मथुरा एवं रायबरेली।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 28-07-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में बाढ़ के प्रति संवेदनशील प्रदेश के 44 जनपदों की प्रभावित होने वाली कुल 118 तहसीलों के लिए ₹0 50,000/- प्रति तहसील की दर से राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-10309/रा०आ०का०(बाढ़)/2026-27 दिनांक 15.07.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाढ़ प्रभावित 44 जनपदों की कुल 118 तहसीलों में बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में लगे तहसील/राजस्व कार्मिकों की सुरक्षा तथा बाढ़ प्रबन्धन सम्बन्धी कार्यों के सकुशल संचालन हेतु आवश्यक सुरक्षा सामग्री आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक उपकरण यथा लाइफ जैकेट, रस्सी, लाउड हैलर, रेनकोट, गमबूट आदि आवश्यक सामग्री की खरीद के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन ₹0 59,00,000/- (रुपये उनसठ लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

क्र० सं०	जनपद	तहसीलों की संख्या	तहसीलों के नाम	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (₹0 में)
1	2	3	4	5
1	अयोध्या	3	रुदौली, सोहावल, फैजाबाद	1,50,000/-
2	आजमगढ़	1	सगड़ी	50,000/-
3	बहराइच	3	महसी, कैसरगंज, नानपारा	1,50,000/-
4	बलिया	5	बेलथरा रोड, सिकन्दरपुर, बलिया, बाँसडीह, बैरिया	2,50,000/-
5	बलरामपुर	3	बलरामपुर, तुलसीपुर, उतरौला	1,50,000/-
6	बाराबंकी	3	रामनगर, सिरौली गौसपुर, रामसनेहीघाट	1,50,000/-
7	बस्ती	3	भानपुर, हरैया, बस्ती	1,50,000/-

8	देवरिया	3	रुद्रपुर, बरहज, सलेमपुर	1,50,000/-
9	फर्रुखाबाद	3	कायमगंज, अमृतपुर, फर्रुखाबाद	1,50,000/-
10	गोंडा	3	करनैलगंज, तरबगंज, मनकापुर	1,50,000/-
11	गोरखपुर	7	कैम्पियरगंज, सहजनवा, गोरखपुर, चौरी-चौरा, गोला, बॉसगांव, खजनी	3,50,000/-
12	कासगंज	2	कासगंज, पटियाली	1,00,000/-
13	महराजगंज	3	नौतनवा, फर्रुदा, महराजगंज	1,50,000/-
14	मऊ	2	घोसी, मधनुवन	1,00,000/-
15	संतकबीर नगर	3	मेहदावल, खलीलाबाद, घनघटा	1,50,000/-
16	श्रावस्ती	3	भिनगा, जमुनहा, इकौना	1,50,000/-
17	सिद्धार्थनगर	5	शोहरतगढ़, बांसी, नौगढ़, इटवा, डुमरियागंज	2,50,000/-
18	सीतापुर	3	लहरपुर, बिसवां, महमूदाबाद	1,50,000/-
19	बदायूं	3	सहसवान, बदायूं, दातागंज	1,50,000/-
20	फतेहपुर	2	बिन्दकी, फतेहपुर	1,00,000/-
21	गाजीपुर	4	सैदपुर, मोहम्मदाबाद, जमानियां, सेवराई	2,00,000/-
22	हरदोई	3	सवायजपुर, हरदोई, बिलग्राम	1,50,000/-
23	कानपुर देहात	2	भोगनीपुर, सिकन्दरा	1,00,000/-
24	कानपुर नगर	2	बिल्हौर, कानपुर सदर	1,00,000/-
25	प्रयागराज	7	सोरांव, फूलपुर, इलाहाबाद सदर, बारा, कनछना, हंडिया, मेजा	3,50,000/-
26	लखीमपुर खीरी	5	निघासन, पलिया, गोला, गोकर्णनाम, लखीमपुर, धौरहरा	2,50,000/-
27	मिर्जापुर	2	मिर्जापुर, चुनार	1,00,000/-
28	शाहजहाँपुर	4	तिलहर, जलालाबाद, कलान, शाहजहाँपुर	2,00,000/-
29	उन्नाव	4	बांगरमऊ, सफीपुर, बीघापुर, उन्नाव	2,00,000/-
30	वाराणसी	2	राजातालाब, सदर	1,00,000/-
31	अलीगढ़	1	खैर	50,000/-
32	बांदा	1	पैलानी	50,000/-
33	बरेली	3	मीरगंज, बरेली, फरीदपुर	1,50,000/-
34	चंदौली	2	सकलडीहा, चंदौली	1,00,000/-
35	चित्रकूट	1	राजापुर	50,000/-

37	कनौज	1	कनौज	50,000/-
38	कनौज	2	छिबरामऊ, कनौज	1,00,000/-
39	कौशाम्बी	1	चायल	50,000/-
40	कुशीनगर	1	हटा	50,000/-
41	लखनऊ	1	बक्शी का तालाब	50,000/-
42	मथुरा	2	छता, मांट	1,00,000/-
43	मेरठ	1	मवाना	50,000/-
44	रायबरेली	2	लालगंज, डलमऊ	1,00,000/-
कुल योग		118		59,00,000/-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक 2020-NDM-1 दिनांक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने से पहले उनकी पात्रता का परीक्षण सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये, आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि के प्रयोग/उपभोग/समर्पण/वितरण के सम्बन्ध में जारी सुसंगत शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही बरती जाती है तो इसके लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के

समापन/दिनांक 31 मार्च, 2027 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 59,00,000/- (रुपये उनसठ लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000602 बाढ़ से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मट 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 28-07-2026
19:45:04

(अरुण प्रकाश)

विशेष सचिव ।

संख्या- 863(1)/एक-10-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5-विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरुण प्रकाश)
विशेष सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-29/07/2026

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

- 1
 - 001-863
 - 51 राजस्व विभाग (द्वी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
 - 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)
 - 05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
 - 800 - अन्य व्यय
 - 06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)
 - 02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
- (धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मेरठ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	50000 8605000	50000 8605000
2	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	50000 3193000	50000 3193000
3	मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	100000 21345000	100000 21345000
4	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	150000 1101000	150000 1101000
5	बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	150000 17947000	150000 17947000
6	शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	200000 20388000	200000 20388000
7	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	150000 47810000	150000 47810000
8	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	100000 6075000	100000 6075000
9	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	100000 9790284	100000 9790284
10	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	350000 14806902	350000 14806902
11	जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	50000 11851000	50000 11851000
12	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	50000 3771000	50000 3771000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
13	बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	50000 3666000	50000 3666000
14	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	100000 13310000	100000 13310000
15	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	100000 22365000	100000 22365000
16	गाजीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	200000 16479000	200000 16479000
17	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	250000 30216000	250000 30216000
18	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	350000 25488000	350000 25488000
19	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	150000 16901000	150000 16901000
20	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	50000 1848000	50000 1848000
21	देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	150000 2575000	150000 2575000
22	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	50000 576000	50000 576000
23	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	200000 33582000	200000 33582000
24	रायबरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	100000 104000	100000 104000
25	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	150000 65137000	150000 65137000
26	हरदोई-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	150000 34890000	150000 34890000
27	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	250000 160937000	250000 160937000
28	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	150000 3437000	150000 3437000
29	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	150000 23088000	150000 23088000
30	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	150000 16330000	150000 16330000
31	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	150000 26461000	150000 26461000
32	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	100000 4467000	100000 4467000
33	मऊ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	100000 12472000	100000 12472000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
34	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	250000 56328000	250000 56328000
35	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	150000 7029000	150000 7029000
36	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	50000 6851000	50000 6851000
37	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	100000 13403000	100000 13403000
38	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	150000 12926000	150000 12926000
39	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	150000 3628000	150000 3628000
40	कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	50000 1147000	50000 1147000
41	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	100000 1507000	100000 1507000
42	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	150000 5165000	150000 5165000
43	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	50000 1543000	50000 1543000
44	कांसगंज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	100000 7310000	100000 7310000
	योग	वर्तमान प्रणामी	5900000 797849186	5900000 797849186

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया उनसठ लाख

रूपया उन्नासी करोड़ अठहतर लाख उनचास हजार एक सौ छियासी

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

7

Digitally signed by ARVIND KUMAR SINGH

Reason: Allotment Completed

Attest: Pradeep

2024-07-01 10:05:38